

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1761  
उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

**आरक्षण के नियम**

**1761. श्री ए. राजा:**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह फैसला सुनाया था कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अनारक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा उक्त न्यायालयीन आदेश का सभी प्रतिष्ठानों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई निर्देश अथवा कार्यालय आदेश जारी किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सभी सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में उक्त आदेश के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री  
(श्री बी.एल. वर्मा)**

(क) से (घ): आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.02.1995 के निर्णय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 02.07.1997 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके पैरा 5 में यह प्रावधान है कि सीधी भर्ती के संबंध में जिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था (न कि आरक्षण के आधार पर), उनकी गणना आरक्षण के संबंध में नहीं की जाएगी। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवार, जिनका चयन सामान्य

उम्मीदवारों के लिए लागू मानक के आधार पर किया जाता है, अर्थात् ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में मिलने वाले अवसरों की संख्या में छूट दिए बिना तथा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले विचार क्षेत्र से बड़े विचार क्षेत्र आदि की सुविधा दिए बिना किया जाता है, उनका समायोजन आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

पदोन्नति के मामले में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.07.2002 के कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों को उनकी अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि आरक्षण या अर्हताओं में छूट के कारण, उन्हें आरक्षण रॉस्टर के आरक्षित प्वाइंट के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, विदित हो कि पदोन्नति में अपनी योग्यता सहित पदोन्नति में आरक्षण की नीति का मामला वर्तमान में जनरल सिंह बैच के मामलों (2011 की एसएलपी संख्या 30621) में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम उप सचिव रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना अपेक्षित है।

\*\*\*\*\*